(ड.) प्रश्न नहीं उठता। भुज में एक सैन्य अस्पताल पहले ही विद्यमान हैं।

**सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविल लोग**

2373. **श्री चुन्नीलाल चौधरी**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविलियन भी आते हैं;

(ख) यदि हां, तो सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैनिक अस्पताल की सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैन्य क्षेत्र से आने वाले अपने अन्य सहयोगियों की तरह आवास सुविधा प्रदान न किए जाने क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) :** (क) जी, हां।

(ख) सैन्य अस्पताल सेवा विशेष रूप से सैन्य कार्मिकों के लिए उनकी सेवा संबंधी आवश्यकता के अनुसार बनाई गई हैं। सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अथवा जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नहीं हैं वहां पर प्राधिकृत मेडिकल अटेडेन्ट्स द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, कुछ आपातकालिक मामलों में सिविलियनों को भी मिलिट्री अस्पताल में गैर-हकदार व्यक्तियों के रूप में भरती किया जाता हैं जिसके लिए उन्हे भुगतान करना होता हैं।

(ग) सैन्य आवश्यकता/परिस्थितियों की वजह से मिलिट्री स्टेशनों पर सैन्य कार्मिकों के वास्ते परिवार आवास/एकल आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन जो कि महत्वपूर्ण कार्मिक होते हैं उनके लिए भी सभी स्टेशनों पर शत-प्रतिशत परिवार आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। सैन्य इंजीनियरी सेवा के अन्य सिविलियनों के वास्ते आवास की व्यवस्था रक्षा सेवाओं में सिविलियन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए आवासों के पूल में से की जाती हैं। इसके अतिरिक्त परिवार आवास के उपलब्ध न होने की स्थिति में, सरकारी आदेशों के अनुसार, सिविलियन कार्मिक मकान किराय भत्ता लेने के भी हकदार होते हैं।

**भारतीय इंजीनियरी सेवाओं में पदोन्नति संबंधी मानदण्ड**

2374. **श्री चुन्नीलाल चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि भारतीय इंजीनियरी सेवा में आने वाले व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता हैं और उन्हे विभागों का आबंटन उनके योग्यता कम (मैरिट) के अनुसार किया जाता हैं।

(ख) क्या यह भी सच हैं कि सैन्य इंजीनियरी सेवा में पदोन्नति की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हैं जबकि रेल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा डाक एवं तार विभाग जैसे विभागों में पहली पदोन्नति 8-9 वर्षो में और दूसरी पदोन्नति 13-14 वर्षो की सेवा पूरी करने के बाद दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सेवाओं में भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं और उसके क्या आधार हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन सोमू) :** (क) सयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनके योग्यताक्रम, उनकी प्राथमिकताओं उनकी श्रेणी और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त

पाए जाने के आधार पर विभागों का आबंटन किया जाता हैं।

(ख) और (ग) : अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की संख्या सहित विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती हैं और एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना नहीं की जा सकती हैं।

**Modifications in Defence pay package**

2375. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister during his visit to Jammu and Kashmir assured the Defence per'sonnel that modifica-tibns ia the pay package would be made;

(b) the nature of modifioations proposed;

(c) the manner in which th new system is likely to be implemented; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF DEFENCE (SHRI N. V. N. SOMU): (a) to (d) The Prime Minister was referring to the Pay Comr mission's recbmmendations, and he, reiterated that Government's commitment to ensure that the J-awans and their families live ia reasonable comfort and lead a life of dignity. The Prime Minister referred to the improvements effected in the salary and emoluments of the Jawans as well as in pension pay′ ments. He did not promise any further improvements.

**Black-listing of Mishra Dhatu Nigam Ltd.**

2376. DR. Y. LAKSHMl PRASAD: Will the Minister of DEFENCE he plea sed to state:

(a) whether CIA has black-listed Mishra Dhatu Nigam Ltd., for being a threat to human race; and

(b) if so, Giovernment's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N. V. N- SOMU): (a) and 03) Media reports have appeared that Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) is a company to which sale of American dual-use technology carries the threat of potential military application. Midhani has not been nbtified by the US administration for applicability of enhanced export control restrictions.

**Recruitment in the Armed Forces**

2377. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recruit-ment in the Indian Army id made on the basis of recruitable male populatibn of a State;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the present recruitable male population of Maharashtra and what is the actual intake from the State at present;

(d) whether any recruitment was made from Vidaibha region of the State dur-ing the last three years; and

(e) if sb, the details thereof, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N. V. N. SOMU): (a) to (e) Recruit, ment in the Indian Army is made on the basis of the Recruitable Male Population (RMP) of a State/Union Territory. The RMP refers to those male population Of the coun'try in the aga range of 16-25 years who satisfy the laid down qualitative requirements i.e. education, physical and medical standards. The national RMP is reckoned at 10 per cent of the total male populattion. The Dotal annual vacancies are distributed to all the States/Union Territories as per